

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०



बिलोपि/बोस रूपये Rs 20/-

R-2425-11/14

- 1. दुअरी यादव तनय साहवदीन यादव उम्र 65 साल, पेशा गृहणी व छेती
  - 2. रामलाल यादव तनय छोटकउ यादव उम्र 50 साल, पेशा छेती
- दोनो निवासी ग्राम शंकरपुर, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म०प्र०

-----आवेदकगण/निगरानीकर्ता

बनाम

रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

- 1. फूधन्द्र पिता पचई साकेत निवासी ग्राम शंकरपुर, तहसील त्योंथर जिला रीवा म०प्र०
- 2. शाखन (ज.प)

-----अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट, के प्र०  
35अ12/2013-2014 में सीमांकन पर पारित  
आदेश दिनांक 20.6.2014 के तहत निगरानी  
अन्तर्गत अर्द्ध धारा 50 म०प्र०भूरा०संहिता

क्रमांक 2367  
दिनांक 18-7-14 को प्राप्त  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

निगरानी के तथ्य

यह कि अनावेदक ने साकिम शंकरपुर, तहसील त्योंथर, रा०नि० म०चाकघाट जिलारीवा की आराजी नं. 49/24 रकबा 1.012 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर किये गये सीमांकन कर दिया गया, जिसे निगरानीकर्ता द्वारा आवेदित आराजी नं. 49/24 के अंश भू भाग 0.243 हे. पर आवेदकगणों का कब्जा निरूपित किया गया जबकि आवेदित आराजी नं. 49/24 से संलग्न आवेदकगणों की आराजी नं. 49/1 है और आवेदकगणों का अधिपत्य आराजी नं. 49/1 पर है लेकिन गलत सीमांकन के आधार पर आवेदकगणों के अधिपत्य के

निर्दिष्ट

राजपाल

प्रवेशी प्र. (3) के  
आज दिनांक 18-7-14 के  
सुत किया गया।

395  
18-7-14

127

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2425-सी/14 जिला सीवा

दुअरी यादव विरुद्ध फूलचन्द साकेत

1	2	3
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री प्रवेश मित्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चाक्याह तहसील चौधवा के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-6-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कलेक्टर सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
सदस्य

1 नं० 50/1

राज्यपाल